

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्र.क.क. :- 2268 / 2014)
(संस्थित दिनांक :- 22 / 12 / 2014)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र — गोहद चौराहा
 जिला—भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. रमेश उर्फ बन्दू पुत्र रघुवर सिंह जाटव उम्र 31 वर्ष
02. करन सिंह जाटव पुत्र रघुवर सिंह जाटव उम्र 24 वर्ष
 निवासीगण—ग्राम मोती सिंह का पुरा, थाना—गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)
 अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक : 09 / 11 / 2016 को घोषित)

01. अभियुक्तगण रमेश उर्फ बन्दू एवं करन सिंह पर भा.द.सं. की धारा 294, 323 / 34, 336 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 30 / 11 / 2014 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी नरेन्द्र के घर के सामने आम रास्ता मोती सिंह का पुरा गोहद चौराहा, पर जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी नरेन्द्र को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर प्रीती की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रीती की पत्थर से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहति कारित की एवं पत्थर फैंककर फरियादी/आहत का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया एवं फरियादी नरेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना एक सारवान निर्विवादित तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 30 / 11 / 2014 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी नरेन्द्र के घर के सामने आम रास्ता मोती सिंह का पुरा गोहद चौराहा पर, आरोपीगण द्वारा फरियादी नरेन्द्र सिंह से गाली-गलौच करने, पत्थर फैंककर मानवजीवन संकटापन्न करने, पत्थर फैंककर प्रीती को चोंट पहुँचाने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी नरेन्द्र सिंह द्वारा उसी दिन को थाना गोहद चौराहा पर की जाने पर, थाना गोहद चौराहा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 273 / 2014 अन्तर्गत धारा 294, 336 एवं 506 भाग II सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी प्रीती के

मेडीकल परीक्षण में चोट होने का उल्लेख होने से आरोपीगण के विरुद्ध धारा 323 भा. द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। घटनास्थल से ईट के टुकड़े जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी नरेन्द्र सिंह, आहत प्रीती, साक्षी रामकिशन, राजबहादुर, कोक सिंह एवं हरनारायण के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण रमेश उर्फ बन्टू एवं करन सिंह के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 336 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपीगण सिंह ने दिनांक :- 30/11/2014 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी नरेन्द्र के घर के सामने आम रास्ता मोती सिंह का पुरा गोहद चौराहा पर पत्थर फैंककर फरियादी/आहत का वैयक्तिक क्षैम संकटापन्न किया?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी नरेन्द्र अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण बन्टू एवं करन सिंह को जानता है। आरोपीगण से उसका मुँहवाद हो गया था, इसी बात पर से आरोपीगण ने उसकी लात-घूसों से मारपीट कर दी थी। साक्षी आगे कहता है कि घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना गोहद चौराहा में की थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी नरेन्द्र अ.सा.02 ने आरोपीगण द्वारा दिनांक :- 30/11/2014 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी नरेन्द्र के घर के सामने आम रास्ता मोती सिंह का पुरा गोहद चौराहा पर पत्थर फैंककर उसका एवं प्रीती का वैयक्तिक क्षैम संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी नरेन्द्र अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 02 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप हैं, जो विरोधाभास की प्रकृति के हैं।

07. आहत/साक्षी प्रीती अ.सा.03 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपीगण द्वारा दिनांक :- 30/11/2014 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी नरेन्द्र के घर के सामने आम रास्ता मोती सिंह का पुरा गोहद चौराहा पर पत्थर फैंककर उसका एवं नरेन्द्र का वैयक्तिक क्षैम संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

08. आरोपीगण रमेश उर्फ बन्दू एवं करन सिंह एवं फरियादी/आहत नरेन्द्र सिंह एवं प्रीती के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी नरेन्द्र सिंह अ.सा.02 एवं प्रीती अ.सा.03 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण ने दिनांक :- 30/11/2014 को शाम लगभग 06:30 बजे फरियादी नरेन्द्र के घर के सामने आम रास्ता मोती सिंह का पुरा गोहद चौराहा पर पत्थर फैंककर फरियादी/आहत का वैयक्तिक क्षैम संकटापन्न किया।

10. अभियोजन आरोपीगण रमेश उर्फ बन्दू एवं करन सिंह के विरुद्ध धारा 336 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 336 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

11. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

12. प्रकरण में घटनास्थल से जब्तशुदा ईंटों के टुकड़े मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद